


मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय
—आदेश—

भोपाल, दिनांक 28/5/2018

क्रमांक/एफ 1-10/2018/1/59 : राज्य शासन शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु भारत सरकार से मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्ड के अनुसार शिक्षकों की कमी की पूर्ति के उद्देश्य से उक्त महाविद्यालय के अन्य महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नलिखित रीडरों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें समान सामर्थ्य में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनकी मूल पदस्थापना संस्था शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है:-

स. क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	डॉ. अश्विनी कुमार विद्यार्थी, रीडर, संहिता सिद्धांत	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर
2	डॉ. राकेश सारस्वत, रीडर, रोग निदान	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर
3	डॉ. शिवकुमार आचार्य, रीडर, द्रव्यगुण	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर
4	डॉ. उर्मिला बाक्सार, रीडर, रसशास्त्र	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर

2/ सीसीआईएम मान्यता की दृष्टि से पदस्थापना की जा रही है। संबंधित शिक्षक बिना कार्यभार ग्रहण अवधि (joining period) के उपभोग के तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। वर्तमान पदस्थापना स्थल से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा तथा माह जून 2018 से आगे की अवधि का वेतन आहरण नवीन पदस्थापना स्थल से ही होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस. एस. कुमरे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग
भोपाल, दिनांक 28/5/2018

पृ. क्र. /एफ 1-10/2018/1/59

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- निज सचिव, मान. राज्यमंत्री, आयुष/कुटीर एवं ग्रामोद्योग (स्व. प्र.) म. प्र. भोपाल।
- 2- आयुक्त, संचालनालय आयुष, म. प्र. भोपाल।
- 3- सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।

- 4- संभागीय आयुक्त एवं शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, जबलपुर/इंदौर/उज्जैन।
- 5- प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर/इंदौर/उज्जैन की ओर संबंधित शिक्षकों को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु।
- 6- प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर।
- 7- संबंधित शिक्षक की ओर पालनार्थ।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय
-आदेश-


भोपाल, दिनांक 28/5/2018

क्रमांक/एफ 1-10/2018/1/59 : राज्य शासन शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु भारत सरकार से मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्ड के अनुसार शिक्षकों की कमी की पूर्ति के उद्देश्य से उक्त महाविद्यालय के अन्य महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नलिखित व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें समान सामर्थ्य में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनकी मूल पदस्थापना संस्था शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है:-

स. क.	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	डॉ. सुजाता श्यामकुंवर, व्याख्याता, प्रसूति तंत्र	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर
2	डॉ. सूरज खोदरे, व्याख्याता, संहिता सिद्धांत	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर

2/ सीसीआईएम मान्यता की दृष्टि से पदस्थापना की जा रही है। संबंधित शिक्षक बिना कार्यभार ग्रहण अवधि (joining period) के उपभोग के तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। वर्तमान पदस्थापना स्थल से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा तथा माह जून 2018 से आगे की अवधि का वेतन आहरण नवीन पदस्थापना स्थल से ही होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस. एस. कुमरे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग


भोपाल, दिनांक 28/5/2018

पृ. क्र. /एफ 1-10/2018/1/59

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- निज सचिव, मान. राज्यमंत्री, आयुष/कुटीर एवं ग्रामोद्योग (स्व. प्र.) म. प्र. भोपाल।
- 2- आयुक्त, संचालनालय आयुष, म. प्र. भोपाल।
- 3- सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 4- संभागीय आयुक्त एवं शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, जबलपुर/इंदौर।

- 5- प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर/इंदौर की ओर संबंधित शिक्षकों को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु।
- 6- प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर।
- 7- संबंधित शिक्षक की ओर पालनार्थ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय
-आदेश-

भोपाल, दिनांक 28/5/2018

कमांक./एफ-2-2/2018/1/59- राज्य शासन शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु भारत सरकार से मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्ड के अनुसार शिक्षकों की कमी की पूर्ति के उद्देश्य से तात्कालिक व्यवस्था के रूप में स्नातकोत्तर योग्यताधारी निम्नलिखित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर में संबंधित विषय के व्याख्याता के पद के विरुद्ध अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है:-

स. क.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना/ जिला	स्नातकोत्तर उपाधि का विषय	विषय/विभाग जिसके व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थ किया जा रहा है
1	डॉ. स्वाति सिंह,	शास. आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	संहिता सिद्धांत	व्याख्याता, संहिता सिद्धांत के रिक्त पद के विरुद्ध
2	डॉ. प्रभा सिंह	रीवा	रचना शारीर	व्याख्याता, रचना शारीर के रिक्त पद के विरुद्ध
3	डॉ. नरेन्द्र वर्मा	धार	रसशास्त्र	व्याख्याता, रसशास्त्र के रिक्त पद के विरुद्ध
4	डॉ. प्रज्ञा पाटीदार	शाजापुर	रोग निदान	व्याख्याता, रोग निदान के रिक्त पद के विरुद्ध
5	डॉ. अनिरुद्ध गुप्ता	देवास	द्रव्यगुण	व्याख्याता, अगद तंत्र (सम्बद्ध विषय) के रिक्त पद के विरुद्ध
6	डॉ. दीपक कुमार सिंसौदिया	झाबुआ	काय चिकित्सा	व्याख्याता, काय चिकित्सा के रिक्त पद के विरुद्ध
7	डॉ. राकेश कुमार राठौर	नीमच	शल्य तंत्र	व्याख्याता, शल्य तंत्र के रिक्त पद के विरुद्ध
8	डॉ. अभिषेक जैन	राजगढ़	शालाक्य तंत्र	व्याख्याता, शालाक्य तंत्र के रिक्त पद के विरुद्ध
9	डॉ. महेन्द्र गौतम	डिण्डोरी	कौमार भृत्य	व्याख्याता, कौमार भृत्य के रिक्त पद के विरुद्ध
10	डॉ. रोशनी धुर्वे	विदिशा	पंचकर्म	व्याख्याता, पंचकर्म के रिक्त पद के विरुद्ध

2/ सीसीआईएम मान्यता की दृष्टि से पदस्थापना की जा रही है। संबंधित अधिकारी बिना कार्यभार ग्रहण अवधि (joining period) के उपभोग के तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। वर्तमान पदस्थापना स्थल से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य कोई भी

अवकाश देय नहीं होगा तथा माह जून 2018 से आगे की अवधि का वेतन आहरण नवीन पदस्थापना स्थल से ही होगा।


2/ उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को व्याख्याता के पद के विरुद्ध पूर्णतः अस्थायी रूप से पदस्थ किया जा रहा है। इन चिकित्सकों का धारणाधिकार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर यथावत रहेगा। भविष्य में व्याख्याता के पद भरने पर उन्हें आयुष औषधालयों/चिकित्सालयों में पदस्थ किया जाएगा।

3/ उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को व्याख्याता के पद के विरुद्ध पदस्थापना के दौरान केवल मूल पद (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी) के वेतन-भत्ते प्राप्त होंगे, व्याख्याता के पद का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

4/ उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिक्षक संवर्ग के पद पर संविलियन हेतु किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

5/ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति आदेश क्रमांक एफ 2-2/2013/1/59 दिनांक 25/4/2016 की कण्डिका (14) में उल्लेख किया गया है कि सभी अधिकारियों को शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त की जावेगी। इस परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों द्वारा यदि उक्त प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है, तो अब पूर्ण करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस. एस. कुमर)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग
भोपाल, दिनांक 28/5/2018

पृ. क्र. /एफ 2-2/2018/1/59

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- निज सचिव, मान. राज्यमंत्री, आयुष/कुटीर एवं ग्रामोद्योग (स्व. प्र.) म. प्र. भोपाल।
- 2- आयुक्त, संचालनालय आयुष, म. प्र. भोपाल।
- 3- सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 4- प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन की ओर संबंधित अधिकारी को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु।
- 5- प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर।
- 6- संभागीय आयुष अधिकारी.....
- 7- जिला आयुष अधिकारी..... की ओर संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु।
- 8- संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ..... की ओर पालनार्थ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग